भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1476
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

केंद्रीय नोटरी/नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

1476. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री सय्यद ईमत्याज जलील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय नोटरी/नोटरी पब्लिक के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और नोटरी अधिनियम के अनुसार उन्हें क्या-क्या शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और उनके लिए कितनी सेवा अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नोटरी की नियुक्ति के संबंध में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विभिन्न राज्यों और अधिवक्ताओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान की गई और लंबित नियुक्तियों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या देश में नोटरी पब्लिक की नियुक्ति की प्रक्रिया कोविड- 19 के कारण बाधित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

भाग (क) : नोटेरी नियम, 1956 का नियम 3 नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता मानदण्ड का उपबंध करता है जिसमें सामान्य प्रवर्ग दशा में विधि व्यवसाय का 10 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं के प्रवर्ग की दशा में विधि व्यवसाय का 7 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है ।

नोटेरी पब्लिक को शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में यह कथन किया जाता है कि नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 3 नोटेरी नियुक्त करने की शक्ति से संबंधित है- केन्द्रीय सरकार, सम्पूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए और राज्य सरकार, संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए, किन्हीं विधि व्यवसायियों को या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अर्हताऐं हैं जो विहित की जाएं, नोटेरी नियुक्त कर सकती है ।

नोटेरी नियम, 1956 के अनुसार नियत सेवा का कार्यकाल नियम 8 (4) में उल्लिखित है, इस उपनियम के अनुसार- जहां आवेदन अनुज्ञात हो, समुचित सरकार आवेदक को नोटेरी के रूप में नियुक्त करेगी तथा अधिनियम की धारा 4 के अधीन उस सरकार द्वारा रखे गए नोटेरी के रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट करने का आदेश देगी तथा उसे विहित फीस के संदाय पर प्रमाणपत्र जारी करेगी, जिसमें उसे प्रमाणपत्र

जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नोटेरी के रूप में उस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए जिससे आवेदन संबंधित है या उसके ऐसे भाग में जो समुचित सरकार प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट करे, प्राधिकृत करेगी ।

भाग (ख) से (घ) : पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा की गई और लंबित नियुक्तियों की संख्या उपाबंध-1 पर है ।

जी हां । देश में नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया कोविड-19 के कारण बाधित रही है, स्थिति निम्नानुसार उल्लिखित है:-

2020– इस वर्ष में किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए साक्षात्कार आयोजित करने हेतु किसी भी साक्षात्कार बोर्ड का गठन नहीं किया गया ।

2021– जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए ।

2022– जुलाई, 2022 मास में पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिनमें 128 अभ्यर्थियों/आवेदकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी के रूप में नियुक्त किया गया ।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय के डिजिटल इंडिया के दर्शन का संवर्धन करने हेतु तथा कोविड-19 की स्थिति का ध्यान रखते हुए और नागरिकों की सुविधा हेतु, विधि कार्य विभाग ने पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए, जिनमें 685 में से 367 आवेदकों को नोटेरी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया । तत्पश्चात् गुजरात राज्य के लिए भी साक्षात्कार आयोजित किए गए जिनमें 9198 आवेदकों में से 1236 को केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी के रूप में नियुक्त किया गया ।

चालू वर्ष (2023)- कर्नाटक राज्य के लिए 5526 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और फरवरी, 2023 मास में ऑनलाइन साक्षात्कार नियत किए गए हैं । नोटेरियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया पहले से ही ऑनलाइन ढंग से की जा रही है ।

****

उपाबंध-1

क्र. सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या				पिछले तीन वर्ष के दौरान नियुक्त नोटेरियों की संख्या
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	
1	अंदमान और निकोबार	0	4	0		
2	आंध्र प्रदेश	284	3578	18		
3	अरुणाचल प्रदेश	0	15	16		
4	असम	2	406	2		
5	बिहार	16	238	630		
6	चंडीगढ़	10	76	4		
7	छत्तीसगढ	595	2682	1		
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	3	6	0		
9	दिल्ली	102	989	40		
10	गोवा	1	306	2		
11	गुजरात	5483	3016	20		1236
12	हरियाणा	291	1218	128		
13	हिमाचल प्रदेश	25	656	4		367
14	जम्मू-कश्मीर	176	0	4		91
15	झारखंड	29	552	9		
16	कर्नाटक	399	4788	61		
17	केरल	85	2048	18		
18	लद्दाख	0	9	0		
19	लक्षद्वीप	0	0	1		
20	मध्य प्रदेश	183	3219	34		
21	महाराष्ट्र	**1205**	**15686**	**22**		
22	मणिपुर	0	0	1		
23	मेघालय	0	4	7		
24	मिजोरम	0	1	0		
25	नगालैंड	1	0	5		
26	ओडिशा	25	456	14		
27	पुदुचेरी	2	221	1		128
28	पंजाब	201	1466	39		
29	राजस्थान	526	4756	64		
30	तमिलनाडु	197	10035	37		
31	तेलंगाना	43	1969	13		
32	त्रिपुरा	3	30	0		
33	उत्तर प्रदेश	236	3599	40		
34	उत्तराखंड	7	138	5		
35	पश्चिमी बंगाल	47	1105	8		
योग		**10177**	**63272**	**1248**	**कुछ नहीं**	**1822**

****